

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर
(नजारत अनुभाग)

सूचना

वर्ष 2025 के लिए जनपद न्यायालय, बलरामपुर के नवीन न्यायालय परिसर में बाग के फसल की खुली नीलामी दिनांक: 28.02.2025 समय 04:30 बजे सांय नवीन न्यायालय परिसर के मीटिंग हाल में की जानी है। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आवेदन 27.02.2025 तक सांय 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जजी बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में खुली नीलामी हेतु बायलॉज संलग्न कर दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-256/78-2-2018-42आई0टी0/2017टी0सी0 के अन्तर्गत वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुरूप रु 1,00,000/- से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करने की निविदाओं के लिये सीमा बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये कर दिया गया। बाग के फसल के लिये बुक मूल्य 10,00,000/- रुपये से कम है।

अतः ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर खुली नीलामी नोटिस डाले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनसाधारण की सूचना हेतु उपरोक्त नोटिस <http://www.allahabadhighcourt.in/> तथा <https://districts.ecourts.gov.in/balrampur> पर विस्तृत जानकारी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त अपलोड कर दिया जायेगा।

जनसाधारण की सूचना हेतु संलग्नक नोटिस दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रेषित कर दिये जायेंगे।

आदेश की प्रतिलिपि निम्न सूचना पटों पर चस्पा कराया जाए :-

1. जनपद न्यायालय, बलरामपुर,
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर, तहसील, बलरामपुर,
3. लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड), बलरामपुर,
4. रोडवेज बस स्टेशन, बलरामपुर,
5. रेलवे स्टेशन (झारखण्डी), बलरामपुर,
6. विकास भवन, बलरामपुर के सूचना पटों पर चस्पा किया जाए।
7. जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. सिस्टम ऑफिसर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय बलरामपुर की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

दिनांक: 13.02.2025


(अनूप कुमार नायक)
सदस्य, नीलामी
समिति/अपर सिविल जज
(प्रवर खण्ड) बलरामपुर।


(अनूप कुमार पाण्डेय)
सदस्य, नीलामी समिति/
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
बलरामपुर।


(सुमित प्रेमी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

जनपद न्यायालय, बलरामपुर के नवीन न्यायालय परिसर में स्थित बाग के फसल का ठेका के नीलामी हेतु गठित समिति की बैठक दिनांकित 13.02.2025 का कार्यवृत्त।

माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर के द्वारा प्रशासनिक आदेश संख्या :18/2025 दिनांकित: 28.01.2025 से जनपद न्यायालय बलरामपुर के नवीन न्यायालय परिसर में स्थित बाग के फसल का ठेका के आवंटन हेतु समिति गठित की गयी। तदनुसार आज दिनांक 13.02.2025 को श्री सुमित प्रेमी, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर, अध्यक्ष नीलामी समिति के विश्राम कक्ष में सायं 04:30 बजे बैठक हुई, जिसमें श्री अनूप कुमार पाण्डेय, सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर, सदस्य नीलामी समिति तथा श्री अतुल कुमार नायक, अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर सदस्य नीलामी समिति द्वारा भाग लिया गया।

समिति द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की अधिकतम स्वीकृत नीलामी धनराशि रुपये 23,000/- (तेईस हजार) का 10 प्रतिशत बढ़ाकर अर्थात् धनराशि रुपये 25,300/- (पच्चीस हजार तीन सौ) को इस वर्ष की नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि के रूप में किया जा सकता है तथा यदि इस वर्ष की अधिकतम बोली न्यूनतम आरक्षित धनराशि से कम होगी तो ऐसी परिस्थिति में मामले को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन हेतु संदर्भित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बाग के फसल का ठेका की नीलामी हेतु नियम व शर्तें प्रस्तावित की जा रही हैं।

अतः इस बैठक की कार्यवृत्त को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित करते हुए यह अनुरोध किया जा रहा है कि बैठक की कार्यवृत्त को अनुमोदित करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की कृपा करें, ताकि नियम व शर्तों की सूचना समस्त सूचना पटल पर चरप्पा की जा सके तथा कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापित प्रकाशन भी कराया जा सके।

उक्त कार्यवृत्त को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जनसाधारण की सूचना हेतु उपरोक्त आशय की नोटिस <http://www.allahabadhighcourt.in/> तथा <https://districts.ecourts.gov.in/balrampur> पर विस्तृत जानकारी के लिए अपलोड किया जायेगा।


(अतुल कुमार नायक)
सदस्य, नीलामी

समिति/अपर सिविल जज
(प्रवर खण्ड) बलरामपुर।


(अनूप कुमार पाण्डेय)
सदस्य, नीलामी समिति/

सिविल जज (प्रवर खण्ड)
बलरामपुर।


(सुमित प्रेमी)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।


13/2/2025

जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

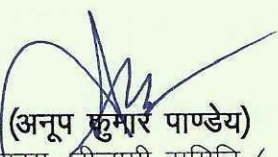
बाग के फसल का ठेका की नीलामी वर्ष 2025 के लिए नियम व शर्तें:-

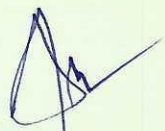
- 1- यह बाग के फसल का ठेका की नीलामी वर्ष 2025 के लिए वैध होगी, जिसके लिए नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आवेदन 27.02.2025 तक सायं 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जजी बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।
- 2- बाग के फसल का ठेका की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 28.02.2025 को सायं 04:30 बजे नवीन न्यायालय परिसर, बलरामपुर स्थित सभागार में सम्पादित होगी।
- 3- बाग के फसल का ठेका की पिछले वर्ष हेतु स्वीकृत धनराशि ही इस वर्ष नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि होगी।
- 4- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 5- नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में न्यायालय परिसर में कोई भी बाग के फसल का ठेका आवंटित किया गया था, उससे सम्बन्धित कोई भी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हें वर्ष 2025 के लिए बाग के फसल का ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 6- ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रुपये 10000/- (दस हजार) की धनराशि जमा करनी होगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं आवंटित होता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
- 7- माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी दशा में बाग के फसल का ठेका की नीलामी राशि वर्ष 2025 की नीलामी राशि की तुलना में कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 8- जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा। ठेकेदार द्वारा स्टाम्प पेपर स्वयं कय करना होगा। ठेकेदार द्वारा पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करवाने से सम्बन्धित व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- 9- आवंटी को ठेके की राशि का भुगतान निम्न रूप से करना होगा :-
(क) 10000/- नीलामी के पूर्व (जमानत धनराशि के रूप में)।
(ख) कुल राशि के का 50 प्रतिशत आवंटन के समय।
(ग) अवशेष धनराशि एक माह के अन्दर।
- 10- आवंटी किसी भी दशा में आवंटित बाग के फसल का ठेका को किसी अन्य को न ही स्थानान्तरित कर सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे सकता है।
- 11- बाग की साफ-सफाई कर्मचारी/माली की व्यवस्था करने का दायित्व भी पूर्णतः सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
- 12- ठेका अवधि के दौरान बाग को अनुरक्षित करने का उत्तरदायित्व तथा बाग की सिचाई व सफाई करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
- 13- ठेका नीलामी की विस्तृत शर्तें किसी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत जिला जजी बलरामपुर में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती हैं।
- 14- नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को होगा।

उपरोक्त शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

दिनांक: 13.02.2025


(अतुल कुमार नायक)
सदस्य, नीलामी
समिति/अपर सिविल जज
(प्रवर खण्ड) बलरामपुर।


(अनूप कुमार पाण्डेय)
सदस्य, नीलामी समिति/
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
बलरामपुर।


(सुमित प्रेमी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।